न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–151 / 2017 दायर दिनांकः 01.09.2017

GCMS NO:- 2017/00181

पीठासीन अधिकारी :– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)

1. लालाराम आत्मज श्री श्रवण जाति कीर निवासी ग्राम कीरो का झोंपडा(मजरा) तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0।

–वादी

बनाम

1. मथरालाल आत्मज री किसना जाति कीर निवासी कीरो का झोंपडा (मजरा) तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
2. दुर्गालाल आत्मज श्री किसना जाति कीर निवासी कीरो का झोंपडा (मजरा) तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
3. मनभर आत्मज श्री किसना जाति कीर निवासी कीरो का झोंपडा (मजरा) तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
4. कुंवरी बेवा किसना जाति कीर निवासी कीरो का झोंपडा (मजरा) तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
5. लक्ष्मण आत्मज उगना जाति कीर निवासी कीरो का झोंपड़ा (मजरा) तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
6. मांगीलाल आत्मज पदन जाति कीर निवासी कीरो का झोंपडा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
7. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,188 आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी की ओर से वकील श्री रमेश कुमार कहार ।

निर्णय दिनांक 28.11.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि वादी की खरीद शुदा अधिकार व आधिपत्य की ग्राम कीरो का झोपडा (मजरा) खानपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी में जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 72 की खाता संख्या 218 की खसरा संख्या 171 रकबा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 174 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 176 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 177 रकबा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 180 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 182 रकबा 05 बिस्वा, 183 रकबा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 184 रकबा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 186 रकबा 09 बिस्वा, खसरा संख्या 187 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 199 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 198 रकबा 1 बीघा कुल किता 12 कुल रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का 1/6 हिस्सा में निहित है। यह कि जमाबन्दी सम्वत् 2068–72 की खाता संख्या 188 रकबा 04 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 04 बिस्वा गै0मु0 चाह व खाता संख्या 221 के खसरा संख्या 221 के खसरा संख्या 172 रकबा 06 बिस्वा में भी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का हिस्सा निहित है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के हिस्से की उपरोक्त भूमि को वादी के पक्ष मे 29/04/1984 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के पति किसना, प्रतिवादी संख्या 5 लक्ष्मण व प्रतिवादी संख्या 6 मांगीलाल के पिता मदन द्वारा रूपयों की आवश्यकता होने के कारण 2400/– रूपये अक्षरे चौबीस सौ रूपये मात्र में बैचान कर सादा कागज (बही) पर लेख लिखा गया था जिस पर तीनों विक्रेतागणों व गवाहान के द्वारा हस्ताक्षरित कर भूमि पर भौतिक कब्जा जितनी उनके हिस्से में आती है उतनी जमीन पर संभला दिया था तब से ही वादी उक्त भूमि को काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जिसके बारे में अनेको बार रजिस्ट्री करने के लिए निवेदन किया लेकिन समयाभाव बताकर टालमटोल कर देते है। प्रतिवादीगण से अंतिम बार दिनांक 10/06/2017 को कहा गया तो भी टालम[illegible] का कारण है। यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी द्वारा क्रय शुदा भूमि[illegible] चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित छगना आत्मज श्रया के वारिसान प्र[illegible] उपरोक्त बैचान के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषित क[illegible] पूर्वज छगना आत्मज श्रया के स्थान पर अपने नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, खसरा, गिरदावरी में करवाये। अपने [illegible] पत्र के समर्थन में वादी ने अपने बयानों के शपथ–पत्र, बैचान [illegible]नामा, नकल जमाबन्दी [illegible] संख्या 212, नकल जमाबन्दी 213, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 220, खाता संख्या संख्या 215 तथा वादी के बयानों के शपथ पत्र दावे के समर्थन में पेश किये ।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गए। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.05.19 16:32:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नैनवा (बून्दी)

कार्यवाही की गई। वाद में एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस में वकील वादी ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया।

हमने वाद पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया । बहस एकपक्षीय में वकील वादी द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत बेचान इकरारनामा प्रदर्श 1 रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में केवल वादी के बयान प्रस्तुत किये है। किसी गवाह के बयान दर्ज रिकार्ड नहीं करवाये गए है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों यथा आरआरडी 14.06.2018 पेज 337, 2019 डीएनजे(रेवेन्यु) पेज 29 आदि में स्पष्ट अभिनिर्धारित किया गया है कि अपंजीकृत इकरारनामें या दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार हस्तान्तरण मान्य नहीं है। वादी में अपने वाद के समर्थन में किसी प्रकार के गवाह को भी प्रस्तुत नहीं किया है। वादी अपना वाद सावित करने में असमर्थ रहा है। अतः न्यायालय अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायसंगत नहीं मानता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। वाद खारिज की डिक्री जारी की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.05.19 15:32:10 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ** व इजलास पीठासीन अधिकारीः– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. लालाराम आत्मज श्री श्रवण जाति कीर निवासी ग्राम कीरो का झोंपडा(मजरा) तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0 ।

–वादी

बनाम

1. मथरालाल आत्मज री किसना जाति कीर निवासी कीरो का झोंपडा (मजरा) तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
2. दुर्गालाल आत्मज श्री किसना जाति कीर निवासी कीरो का झोंपडा (मजरा) तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
3. मनभर आत्मज श्री किसना जाति कीर निवासी कीरो का झोंपडा (मजरा) तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
4. कुंवरी बेवा किसना जाति कीर निवासी कीरो का झोंपडा (मजरा) तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
5. लक्ष्मण आत्मज उगना जाति कीर निवासी कीरो का झोंपड़ा (मजरा) तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
6. मांगीलाल आत्मज पदन जाति कीर निवासी कीरो का झोंपडा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0
7. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ जिला बून्दी राज0 ।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,188 आर.टी एक्ट

वाद संख्याः–151/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–व–रू ....**हमारे**................बहाजरी वादी के अभिभाषक ....–.. मिनजानिव मुदई व श्री प्रतिवादी के अभिभाषक मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है किः–

वादी का वाद खारिज किया जाता है।

........................चीज ....–..................... मुबलिग ....–............................ बाबत ....–..............................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....–....................................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....–....................................... को अदा करे।

दस्तखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **28.11.2022** को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	–	–	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–		–	–

मुहर

उपखण्ड अधिकारी नैनवा (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.05.19 15:32:10 IST
Reason: SelfAttested